



महात्मा गाँधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान

लक्ष्मी कुमारी

एसोसिएट प्रोफेसर- इतिहास विभाग, जे.डी. वीमेन्स कॉलेज, पटना (बिहार), भारत

Received- 29.09.2019, Revised- 05.10.2019, Accepted - 10.10.2019 E-mail: harshitcomputerballia@gmail.com

सारांश : महात्मा गाँधी आधुनिक युग के सबसे महान पुरुष थे। भारतीय उन्हें अवतार मानते थे तथा उन्हें राष्ट्रपिता कहकर सम्बोधित करते थे। वे एक आदर्शवादी, अराजकतावादी, मानवतावादी, आध्यात्मवादी तथा कर्मवादी थे। उन्होंने धर्म तथा राजनीति, रहस्यवाद और व्यवहारवाद और प्राचीन भारतीय दर्शन तथा अर्वाचीन पाश्चात्य दर्शन का सम्मिश्रण किया। राज्यशास्त्र को उन्होंने आध्यात्मिक आधार तथा व्यावहारिक राजनीति की नवीन प्रणालियाँ प्रदान की।

मोहनदास करमचन्द गाँधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 ई. को पोरबन्दर में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचन्द गाँधी राजकोट के दीवान थे। माता-पिता के धार्मिक तथा सादगी का बचपन में उनपर काफी प्रभाव पड़ा। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा राजकोट में हुई। मैट्रिक पास करके वे कानून की शिक्षा पास करने के उद्देश्य से इंग्लैंड गये। वहाँ उन्होंने सादगी का जीवन बिताया तथा ब्रह्म ज्ञानियों के सम्पर्क में आकर भगवद्गीता का अनुवाद पढ़ा। इंग्लैंड से लौटकर उन्होंने वकालत शुरू की। 1893 में एक मुकदमे की पैरवी में दक्षिण अफ्रिका गये। वहाँ वे बीस वर्ष तक रहे और जाति तथा रंग के पक्षपात के कारण भारतीयों पर जो अन्याय और अत्याचार वहाँ हो रहा था, उसके विरुद्ध निरन्तर और अथक युद्ध करते रहे। वहाँ इसी अवधि में उन्होंने सत्याग्रह के विलक्षण तथा शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण किया और सत्य तथा अहिंसा का प्रथम प्रयोग किया। वे संघर्ष में विजयी हुए।

कुंजी शब्द – अवतार, आदर्शवादी, अराजकतावादी, मानवतावादी, आध्यात्मवादी, कर्मवादी, रहस्यवाद।

1914 में महात्मा गाँधी भारत लौट आये। उनके जीवन का दूसरा तथा महत्वपूर्ण चरण प्रारम्भ हुआ। गोखले से उनका सम्पर्क हुआ, लेकिन 1915 में गोखले का देहान्त हो गया। साबरमती में गाँधीजी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। कुछ वर्षों तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनका कार्य सीमित रहा। उन्होंने चम्पारण के यूरोपीय जमींदारों के विरुद्ध किसानों का नेतृत्व किया, अहमदाबाद में मिल-मालिकों के विरुद्ध मजदूरों की हड़ताल करायी, खेड़ में लगान की छूट के लिए किसान आन्दोलन का संचालन किया तथा युद्ध में सेवाओं का आयोजन किया। अभी तक वे ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे। 1919 में हवा का रूख बदला। वे सहयोगी से असहयोगी बन गये और राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े। 1920 में लोकमान्य तिलक के स्वर्गवास से देश को नेतृत्व की जरूरत थी। खिलाफत आन्दोलन और रॉलेट बिल ने महात्मा गाँधी को अवसर प्रदान किया। उन्होंने देश की क्रांतिकारी परिस्थितियों को ठीक से समझा और उसे एक राजनीतिक अस्त्र प्रदान किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित असहयोग आन्दोलन की नीति को अपनाया सर्वोत्तम समझा। उन्होंने एक वर्ष के अन्दर स्वराज्य प्राप्त करने की प्रतिज्ञा दिलायी और आन्दोलन को हिंसा से बिल्कुल शून्य रखने का आदेश दिया। बारदोली में सत्याग्रह का उन्होंने बड़े वेग से नेतृत्व किया। इसी बीच चौरी-चौरा की हिंसात्मक घटना घटित

हुई। सहयोगियों की इच्छा के विरुद्ध गाँधीजी ने आन्दोलन को स्थगित कर दिया, अन्यथा सारे देश में हिंसात्मक आन्दोलन फैल जाता। इस प्रकार गाँधीजी का प्रथम अहिंसात्मक आन्दोलन असफल रहा। लेकिन उसने कांग्रेस को एक जन-आन्दोलन बना दिया, स्वराज्य का सन्देश घर-घर पहुंचा दिया तथा भारतीयों को भयमुक्त कर उनकी मानसिक स्थिति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया।

अप्रैल, 1922 में गाँधीजी को गिरतार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष का कारावास का दण्ड मिला। स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें कुछ महीनों के बाद जेल से मुक्त कर दिया गया। इस बीच हिन्दू-मुस्लिम दंगे शुरू हो गये। इसकी प्रतिक्रिया में गाँधीजी ने 21 दिनों का अनशन किया। इसके परिणामस्वरूप 1924 में देश के नेताओं ने एक सम्मेलन किया। उसी वर्ष स्वराज्य दल की स्थापना हुई। स्वराज्यवादियों के कांग्रेस ने कौंसिल में प्रवेश करने की आज्ञा दी। अन्य कांग्रेसियों के लिए गाँधीजी ने रचनात्मक कार्य तैयार किया, जैसे-खादी का प्रचार, अस्पृश्यता निवारण, हिन्दू-मुस्लिम एकता आदि। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर कांग्रेस के दो दलों में गहरा मतभेद हो गया, लेकिन गाँधीजी के प्रयास से यह मतभेद दूर हो गया। 1929 में श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ।

महात्मा गाँधी का दूसरा असहयोग आन्दोलन



1931 में प्रारम्भ हुआ। इस संघर्ष को सविनय अवज्ञा आन्दोलन का रूप दिया गया। इस सम्बन्ध में गाँधीजी का 'डंडी मार्च' प्रसिद्ध है। आंदोलन देश के कोने-कोने में फैल गया। इस आन्दोलन का अन्त प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद गाँधी, इरविन समझौते के साथ हुआ। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गाँधीजी ने भी भाग लिया। सम्मेलन में साम्प्रदायिक समस्या पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका। देश लौट कर गाँधीजी ने पुनः सत्याग्रह चालू कर दिया। देश ने गाँधीजी का अनुकरण किया और जेल आन्दोलनकारियों से भर गये। कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। आन्दोलन 1934 तक चलता रहा। उसी वर्ष बम्बई अधिवेशन में गाँधीजी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया और कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया। 1935 के चुनाव में विजयी होने के उपरान्त पद-ग्रहण के प्रश्न पर कांग्रेस में गहरा मतभेद हुआ। महात्मा गाँधी की सृष्टि के आधार पर कांग्रेस को गवर्नरों द्वारा यह आश्वासन मिला कि वे कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जुलाई, 1937 से दिसम्बर, 1939 तक कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने सराहनीय कार्य किये। द्वितीय युद्ध में भारतीयों की स्थिति के प्रश्न पर कांग्रेसी मन्त्रीमण्डलों ने त्याग पत्र दे दिया।

1940 में गाँधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। 1942 में इसने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह से सरकार को देश की जनता की शक्ति तथा दृढ़ संकल्प का पता लगा। गाँधी जी तथा अन्य क्रान्तिकारियों को जेल में ठूस दिया गया। 1944 में गाँधीजी को कारामुक्त कर दिया गया। 1946 के कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने मन्त्रीमण्डल बनाया और संविधान सभा ने नया संविधान बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की आवाज उठायी और सीधी कार्रवाई का नारा बुलन्द किया। फलस्वरूप हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगा शुरू हुआ। अत्याचार, लूट-मार और अगलगी का नंगा नाच देखने को मिला। गाँधीजी ने नोआखाली का दौरा किया। दंगे की ज्वाला कलकत्ता, बिहार, पंजाब तथा दिल्ली में भी फैल गयी। गाँधीजी ने सभी क्षेत्रों का दौरा किया और

साम्प्रदायिक एकता कायम करने का प्रयास किया। माउण्टबेटन योजना के अनुसार देश विभाजित हो गया। 30 जनवरी, 1948 को बिड़ला भवन में गाँधीजी नाथूराम गोडसे की गोली के शिकार हुए। इस घटना से सारा मानव समुदाय दुःख के सागर में डूब गया। डॉ. स्टेन्ले जोन्स ने महात्मा गाँधी की मृत्यु के महत्त्व पर लिखते हुए कहा था कि "यदि महात्मा गाँधी को यह चुनने का अधिकार होता कि मैं किस प्रश्न पर मरूँ तो इससे अधिक अच्छा प्रश्न और कोई नहीं हो सकता था। यह उसके जीवन का सुनिश्चित सार है। यह उसके जीवन और मृत्यु को एकाकार कर देता है। यह 'भारत सब के लिए' इस आदर्श के लिए जिया और इसी के लिए मरा। यह एक उपयुक्त चरमोत्कर्ष था। वह 'शव की वेदी पर मरता है।' इस प्रमादपूर्ण कार्य का कोई औचित्य नहीं है, किन्तु चूंकि गाँधीजी अपने जीवनकाल में परमात्मा का एक अंश थे, इसलिए मृत्यु में भी परमात्मा का एक अंश ही रहे। परमात्मा ने इस दुःखद घटना का प्रयोग उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है जिनके लिए वह जीते थे। हत्यारे की गोलियाँ महात्मा गाँधी और उनके विचारों का अन्त करने के लिए चलायी गयी थीं, परन्तु उसका फल यह हुआ कि वे विचार स्वच्छन्द हो गये और मानव शक्ति की थाती बन गये। हत्यारे ने महात्मा गाँधी की हत्या करके उन्हें अमर बना दिया। मृत्यु में वे अपने जीवन की अपेक्षा अधिक बलशाली हो उठे। संसार में करोड़ों व्यक्ति आज महात्मा और उनके विचारों में अनुराग रखते हैं। यदि वह अपने जीवन के आदर्शों की बलिवेदी पर बलिदान न होते तो ये दो करोड़ों व्यक्ति उनपर केवल एक उड़ती हुई दृष्टि डालकर ही रह जाते। किसी भी मानव ने अपने जीवन के आदर्शों का सार अपनी मृत्यु में उनसे अधिक रूप में नहीं पाया।'

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डा. बीरकेश्वर प्रसाद सिंह : राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारतीय शासन, फ्रेन्ड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, गोविन्द मित्रा रोड, पटना
2. दिनकर रामधारी सिंह— संस्कृति के चार अध्याय
3. धीरेन्द्र मोहन दत्त— कृत-फिलासफी ऑफ गांधी से है।
